न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—234/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/234)

1. मंजू पुत्री मंगला
2. सन्ना पुत्री मंगला
3. लाली पुत्री मंगला
4. दीपा पुत्री मंगला
5. लक्ष्मण पुत्र मंगला
6. कालू पुत्र भैरू समस्त जातिगण रेगर निवासी ग्राम लौहरवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, अजमेर।

रेस्पोडेंट

2. छोटी पत्नि मंगला जाति रेगर निवासी ग्राम लौहरवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

परफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.08.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद अजमेर राजस्व वाद संख्या 164/2016

उपस्थितः—

1. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः—15.12.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 164/2016 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष मंगला पुत्र भैरू/वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 21.10.2016 को दर्ज कर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रतिवादी को नोटिस जारी कर दिए गए जिस पर प्रतिवादी राजकीय पैरोकार द्वारा उपस्थिति के पश्चात अपीलार्थी वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में समस्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। दौराने वाद वादी मंगला पुत्र भैरू के फौत होने पर उसके वारिसान अपीलार्थी संख्या 1 से 5 व परफोर्मा

प्रतिवादीगण को पत्रावली पर वादी मंगला के स्थान पर पक्षकार मुर्तिब किया गया तत्पश्चात वादी कालू पुत्र भैरू का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दिनांक 16.08.2024 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 164/2016 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2024 को वादीगण का वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि खसरा नम्बर 371 पर वादीगण द्वारा नियमन के तथ्य के अनुक्रम में कब्जे हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कब्जे के अभाव के आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी/वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में स्वतंत्र गवाहों के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये व वादी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिस पर राजकीय पैरोकार द्वारा कोई जीरह नहीं की गयी तथा उक्त शपथपत्र में अपीलार्थीगण/वादीगण के कब्जे का स्पष्ट विवरण था को भी नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय/डिक्री पारित किया गया जो कि अपील के माध्यम से काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण के द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार कर तथा इस तथ्य को भी दरकिनार किया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी/वादीगण के कब्जा ना होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया को भी दरकिनार कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की गयी जो कि काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2024 में वादपत्र को खारिज करने का आधार माना कि अपीलार्थी वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा का नियमन से पूर्व व बाद में कब्जा सिद्ध हेतु खसरा गिरदावरी व अन्य राजस्व अभिलेख पेश नहीं किये गये है जबकि नियमन के पश्चात निमयन पूर्व के कब्जे हेतु खसरा गिरदावरी का कोई ओचित्य नहीं रहता है। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय/डिक्री काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2024 में अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्ष्यों के शपथपत्र का कोई हवाला ही नहीं है जबकि प्रकरण के फर्द अहकाम में उक्त साक्ष्यों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने का अंकन है। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र कब्जे के आधार पर अपीलार्थी/वादीगण का वाद खारिज कर दिया गया जबकि उनके द्वारा कब्जे के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों को किसी भी जिरह के माध्यम से आक्षेपित नहीं किया गया। इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/डिक्री काबिले निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 164/2016 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आराजी मुतनाजा वर्तमान में सिवायचक है। वादीगण के कब्जे के कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने के कारण राजहित प्रभावित होता है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजकीय पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावे व जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयां निर्मित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 16.08.2024 को खारिज किए जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि ग्राम लोहरवाडा के वर्किंग खसरा नम्बर 3949/4700 हाल खसरा नम्बर 371 रकबा 1.06 की आराजी अपीलांट संख्या 1 से 5 के पूर्वज व अपीलांट संख्या 6 को नियमन से प्राप्त हुई तथा नामांतरकरण संख्या 600 दिनांक 28.02.2002 से उक्त आराजी का नामांतरकरण वादीगण/अपीलांट के नाम किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुतनाजा वर्किंग खसरा नम्बर 3949/4700 रकबा 6–11–00 वर्तमान में सिवायचक खाते में दर्ज है तथा हाल राजस्व अभिलेख में भी हाल खसरा नम्बर 371 रकबा 1.06 सिवायचक दर्ज है। इन समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात पर अपीलांट्स का किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दो तनकीयां निर्मित की गई थी तथा उक्त तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादीगण/अपीलांट पर था, परंतु अपीलांट/वादीगण द्वारा उक्त तनकियों को जरिए दस्तावेजात सिद्ध करने में असफल रहे चूंकि नियमन से पूर्व व बाद में आराजी मुतनाजा पर कब्जा सिद्ध करने हेतु खसरा गिरदावरी अथवा अन्य राजस्व अभिलेख अपीलांट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अपीलांट द्वारा कहे गए कथनों के आधार पर आराजी मुतनाजा पर कब्जे के अभाव में नियमन के तथ्य सिद्ध नहीं माने जा सकते हैं। अपीलांट द्वारा कब्जे के अभाव में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, इससे अपीलांट का उक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त सिद्ध नहीं होता है। चूंकि उक्त आराजीयात सिवायचक है अतः इससे राजकीय हित प्रभावित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि सम्मत कार्यवाही कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को वह साबित कर पाने में विफल रहे है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार कोई त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध

दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 164/2016 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर